न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :–

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या: 62/16

दायर दिनांक:– 20.06.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00101

1.बलवीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति कोली निवासी भरतपुर जिला भरतपुर

.......वादी

बनाम

1.मोहनदेई बेबा हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
2. कन्हैया पुत्र हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
3.कुमरपाल पुत्र हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
4.यादू पुत्र हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
5.मुकेश पुत्र हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
6.आमवती पुत्री हरी जाति कोली निवासी वैर तहसील वैर भुसावर जिला भरतपुर
7.सत्येन्द्रसिंह पुत्र दर्यावसिंह जाति जाट निवासी पथैना तहसील भुसावर भुसावर
8.शिवलाल पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
9.बलराम पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
10.मुंशी पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
11.मनोहरी पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
12.रामसिंह पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
13.अंगूरी पुत्री नत्थी जाति जाटव निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
14.फूलवती पुत्री नत्थी जाति जाटव निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
15.शकुन्तला पुत्री नत्थी जाति जाटव निवासी हिंगोटा तहसील भुसावर
16.मीतेश पत्नि भूरसिंह जाति कोली निवासी छौकरवाडा खुर्द तहसील भुसावर
17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर

.... प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुम्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

अधिवक्ता –1.श्री सुरेन्द्र चौधरीवादी
2.श्री छोटेलाल मीना प्रतिवादी 8,9,10,13

निर्णय दिनांक 10.10.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ0ख0न0 276/139 रकवा 4 बीघा 07 विस्वा बाके ग्राम मालाहेडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमें वादी 39108/87992 हिस्से का तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी संख्या एक लगायत 16 मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2069 लगायत 2072 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी का राज लगान मुताबिक हिस्सा राज्य सरकार को अदा करते आ रहे हैं।

उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी काश्तकारी की अभिभाज्य आराजी है, जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एन्ड बाउन्ड विभाजन नहीं हुआ है, आपसी मनवट के आधार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के मन में बंदयान्ती आ गई है, और वह वादी को उसके निहित हिस्से की आराजी में शांति से काश्त नहीं करने दे रहे है। और बिना विभाजन के उक्त आराजी में से अच्छी किस्म की जमीन को दीगर व्यक्ति करे रहन , वय मुंतकिल करने व निर्माण करने पर आमदा है।

अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करा पाने का अधिकारी है। तथा उन्होंने प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने बाबत निवेदन किया गया है और कानूनी विभाजन कराने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 8,9,10,13 की ओर से वकालतनामा श्री छोटेलाल मीना अधिवक्ता द्वारा मय जबाब तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 वादी वकील द्वारा तर्क किए गऐ, एवं प्रतिवादीगए संख्या 7,11,12,14,15,16,17 की बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं उनकी सहमति के बाद दिनांक 22.08.2023 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बावत् तहसीलदार भुसावर को बाद प्रारम्भिक डिक्री लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार भुसावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भिजवाया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। उभयपक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने बावत् सहमति दी गई।

हमने बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव का भली भांती अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/एलआर/2023/5121 दिनांक 10.10.2023 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 16 को खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराजगुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)